कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ।

नीलामी सूचना

लखनऊःदिनांकःअक्टूबर 06 ,2018

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, वित्तीय वर्ष 2018–2019 में दिनांक 16.10.2018 से 31.03.2019 तक के लिए माननीय जिला जज लखनऊ महोदय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, कैसरबाग, लखनऊ के पुराने परिसर में यथा स्थित जलपान हेतु कैन्टीन व भोजनालय की नीलामी बोली दिनांक 12.10.2018 की सांय 4:30 बजे दीवानी न्यायालय, लखनऊ परिसर में दक्षिणी भवन के भू–तल पर स्थित सभागार कक्ष में होगी। उपरिवर्णित जलपान हेतु कैन्टीन व भोजनालय के लिए नीलामी बोली की प्रारम्भिक सरकारी बोली क्रमशः जलपान कैन्टीन हेतु रु0 99,460/– एवं भोजनालय के लिए रु0 1,99,955/– नियत की गयी है।

उपरोक्त से सम्बन्धित कैन्टीन व भोजनालय की नीलामी बोली में भाग लेने हेतु इच्छुक भागीदारों द्वारा धरोहर राशि के रूप में क्रमशः कैन्टीन के लिए रु0 9946/– एवं भोजनालय के लिए रु0 19,956/– की नकद धनराशि कार्यालय केन्द्रीय नजारत कमरा न0–7 में दिनांक 10.10.2018 तक प्रत्येक कार्य दिवस में अपरान्ह 12:00 बजे से 2:00 बजे तक कैशियर के पास जमा करते हुए उससे सम्बन्धित प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावेगी, जिस भागीदार द्वारा उपरोक्त से सम्बन्धित कैन्टीन व भोजनालय की नीलामी बोली में भाग लेने हेतु धरोहर राशि जमा नहीं की जावेगी वह नीलामी बोली में भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

उपरिवर्णित कैन्टीन व भोजनालय की नालामी बोली जिस भागीदार के पक्ष में स्वीकार की जावेगी उसे नीलामी बोली की धनराशि का 50% धनराशि तुरन्त नीलामी स्थल पर जमा करना अनिवार्य होगा तथा शेष 50% की धनराशि में से 25% की धनराशि कब्जा प्राप्त करने से पूर्व जमा करने के पश्चात् उसे कब्जा प्रदान किया जावेगा शेष 25% की बकाया धनराशि कब्जा प्राप्त करने से 45 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका ठेका निरस्त करते हुए उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि को राजकीय पक्ष में जब्त कर ली जावेगी जिसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जावेगा एवं संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये नियमानुसार पुनः नीलामी की कार्यवाही की जावेगी। उपरिवर्णित नीलाम की जाने वाली कैन्टीन व भोजनालय को मात्र नीलामी बोली के दिवस को नीलामी कार्यवाही प्रारम्भ होने से 02घण्टा पूर्व देखा जा सकता है। उपरोक्त कैन्टीन व भोजनालय से सम्बन्धित ठेका जनपद न्यायाधीश, लखनऊ महोदय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों के अधीन सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए संचालित किया जावेगा, निर्धारित शर्तों की प्रति एवं ठेका से सम्बन्धित अपेक्षित जानकारी के लिए कार्यालय उपरोक्त में केन्द्रीय नाजिर से प्रत्येक कार्य दिवस में अपरान्ह 12:00 बजे से 2:00 बजे तक सम्पर्क स्थापित करके प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जमा की जाने वाली सभी धनराशियों से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई चेक/बिल अथवा बैंक ड्राफ्ट आदि प्राप्त नहीं किया जावेगा सभी जमा की जाने वाली धनराशि नकद जमा की जावेगी।

नीलामी तिथि में वृद्धि/परिवर्तन एवं किसी भी प्रकार के वाद विवाद आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने का अधिकार माननीय जिला जज, लखनऊ के अधीन सुरक्षित होगा एवं उनके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा जो सभी को मान्य होगा।

अध्यक्ष,
नीलामी समिति/स्पेशल जज, (अयो0प्रक0),
लखनऊ।

लखनऊःदिनांकःअक्टूबर 06 ,2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय के साथ कि सूचना को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित :–

1– नोडल ऑफिसर (कम्प्यूटर अनुभाग), जनपद न्यायालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त नीलामी सूचना को जनपद न्यायालय, लखनऊ एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइड पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु अपलोड कराने का कष्ट करें।

2– सम्पादक ....दैनिक समाचार पत्र।

3– नाजिर, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।

4– नाजिर सदर, कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

5– लिपिक, कार्यालय, कार्यालय मुख्य मण्डलायुक्त, लखनऊ।

6– लिपिक, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।

7– लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ।

8– नाजिर, पारिवारिक न्यायालय, अमेरिकन लाइब्रेरी लखनऊ।

9– नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, लखनऊ पर चस्पा किए जाने हेतु।

6-10-18

अध्यक्ष,
नीलामी समिति/स्पेशल जज (अयो0प्रक0),
लखनऊ।

Scanned by CamScanner